भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 992
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 दिसंबर, 2015 को दिया गया)

शहीदों की विधवाओं और युद्धभागी सैनिकों के लिए सीएसआर

992. श्री के.एन. रामचन्द्रन :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इससे अवगत है कि कारपोरेट सामाजिक दायित्व में युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं और युद्ध में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों को सहायता प्रदान नहीं की जाती है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
(ग) सीएसआर क्रियाकलापों/कार्यक्रमों के अंतर्गत युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं और युद्ध में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों को शामिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) से (ग): कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में पात्र कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यकलापों की सूची दी गई है इसमें अन्य बातों के साथ-साथ मद सं. (vi) में 'पूर्व सैनिकों, सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ के उपाय' पहले ही शामिल हैं। तथापि, अनुसूची VII के विभिन्न मदों पर सीएसआर कोष के आबंटन का निर्णय इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कंपनी के बोर्ड द्वारा किया जाता है।

*****